कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

—:0 आदेश 0:—

क्रमांक / 520 / सां.लि. / COVID-19 / 2020 दन्तेवाड़ा दिनांक 07 / 06 / 2020

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशान विभाग के पत्र क्रमांक / 300 / स.सा.प्र.वि. / 2020, दिनांक 06.06.2020 में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 08.06.2020 से जिले में निम्नानुसार अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति प्रदान की जाती है :—

1 सार्वजनिक पार्क / उद्यान खुल सकेंगे ।
2 भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. अनुसार धार्मिक / पूजा स्थल संचालित करने की अनुमति दी जाती है, किन्तु सभी धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधि संबंधित इन्सीडेन्ट कमाण्डर से भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. की प्रति प्राप्त करेंगे तथा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे ।
3 क्लबों में केवल बाहरी (आउटडोर) गतिविधियां संचालित हो सकेगी ।
4 स्पोर्टिंग कॉम्पलेक्स एवं स्टेडियम में केवल बाहरी (आउटडोर) खेल गतिविधियां संचालित हो सकेगी ।
5 रेस्टोरेंट हेतु केवल टेक—अवे की अनुमति पूर्वानुसार होगी ।
6 होटल संचालन हेतु अनुमति केवल पूर्वानुसार निर्धारित उपयोग हेतु भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. अनुसार होगी । सभी होटल संचालक संबंधित इन्सीडेन्ट कमाण्डर से भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. की प्रति प्राप्त करेंगे तथा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे ।
7 शॉपिंग मॉल खोलने व संचालन की अनुमति नहीं होगी

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

पृ.क्र. / 521 / सां.लि. / COVID-19 / 2020 दन्तेवाड़ा दिनांक 07 / 06 / 2020

प्रतिलिपि :—

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर ।
3. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर ।
4. कमिश्नर, बस्तर संभाग, जगदलपुर ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला—दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ।

7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी (इन्सीडेन्ट कमाण्डर) दन्तेवाड़ा/बड़ेबचेली ।
8. पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, दन्तेवाड़ा/करन्दुल ।
9. उप संचालक, जनसंपर्क, दन्तेवाड़ा की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
10. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, (इन्सीडेन्ट कमाण्डर) जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा ।
11. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद/ नगर पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा ।
12. सर्व थाना प्रभारी, पुलिस थाना, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा ।
13. नोडल अधिकारी, कण्ट्रोल रूम (07856–252412) जिला कार्यालय, दन्तेवाड़ा ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

धार्मिक स्थलों में प्रवेश हेतु भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी.

- प्रवेश द्वारा पर हैण्ड वाश/हैण्ड सेनिटाईजर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ।
- केवल ऐसे व्यक्तियों को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं हो ।
- मास्क /फेस कवर का उपयोग करने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी ।
- प्रवेश द्वार पर कोरोना (कोविड–19) संक्रमण से बचाव के उपाय के संबंध में पोस्टर/स्टैण्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा । संक्रमण के बचाव के संबंध में ऑडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से जागरूकता फैलाया जाएगा ।
- आगंतुक जूते, चप्पल स्वयं के वाहन में रखकर प्रवेश करेंगे अथवा प्रत्येक परिवार के जूते, चप्पल पृथक रखे जाएंगे ।
- परिसर के अंदर एवं बाहर भीड़ को व्यवस्थित करने व सोशल डिस्टेंस बनाये रखने हेतु प्रबंधन द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी ।
- परिसर के भीतर व बाहर स्थित सभी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया को सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन अनिवार्य होगा ।
- परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए आंगतुकों की कतार हेतु चिन्हांकन किया जाना अनिवार्य होगा ।
- परिसर में प्रवेश एवं निकास की अलग व्यवस्था की जाएगी ।
- प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति के बीच 6 फिट की दूरी अनिवार्य होगी ।
- परिसर में बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे ।
- एयर कंडिशनर/वेंटिलेशन के उपयोग के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना होगा, जिसके अनुसार एयर कंडिशनिंग उपकरणों का तापमान 24–30"C की सीमा में होना चाहिए, ह्यूमिडिटी रेंज 40–70 % होनी चाहिए । जहां तक संभव हो ताजा हवा तथा क्रास वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए ।
- मूर्तियों/पवित्र पुस्तक आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी ।
- धार्मिक/पूजा स्थलों में घण्टी बजाने एवं गर्भ गृह में जाने की अनुमति नहीं होगी ।
- श्रद्धालूओं द्वारा धार्मिक/पूजा स्थलों में पूजन सामाग्री लाने एवं चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी ।
- परिसर के भीतर प्रसाद वितरण व जल छिड़काव प्रतिबंधित रहेगा
- बड़ी सभांए निषिद्ध रहेगी ।
- संक्रमण से फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर, जहां तक संभव हो, रिकार्ड किये गये भक्ति संगीत/गाने बजाए जा सकते हैं, गाना बजाने वालों या गायन समूहों को अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- एक दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक सम्पर्क न हो ।
- प्रार्थना हेतु सार्वजनिक मेट (चटाई) का उपयोग वर्जित होगा, प्रत्येक आगंतुक स्वयं के मेट (चटाई/दरी) का उपयोग करेंगे ।
- सामाजिक रसोई/लंगर/अन्न–दान के दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा ।
- परिसर के भीतर व हाथ–पैर धोने वाले स्थानों पर प्रभावी सेनिटाईजेशन का विशेष ध्यान रखना होगा ।
- परिसर में फ्लोर की लगातार सफाई करनी होगी ।
- परिसर में आने वाले आगंतुक व कर्मचारी फेस कवर/मास्क/ग्लोब्स को सहीं तरीके से डिस्पोज करेंगे ।
- धार्मिक संस्थान के किसी कर्मचारी, सदस्य में कोविड–19 के लक्षण पाए जाते हैं, तो उन्हें परिसर में प्रवेश न करने दें, तथा इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को देना सुनिश्चित करें ।
- कंटेनमेंट घोषित जोन में लगाए गए प्रतिबंध यथावत् रहेंगे ।

––00––